REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 29, 2008 /फाल्गुन 10, 1929
No. 93] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 29, 2008/PHALGUNA 10, 1929

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 116(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 198 और धारा 200 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के साथ पठित धारा 60 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण (संशोधन) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3.52 में संशोधन : भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), के नियम 3.52 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट लाल या हरी बत्ती या तो स्थैतिक या फ्लैशिंग प्रकार की होगी" ।

3. नियम 3.66 में संशोधन : उक्त नियमों के नियम 3.66 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3.66 महताबी (फ्लेयर) सिगनल का प्रयोग : यदि किसी ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध को संरक्षित करने की आवश्यकता है और फ्लैशिंग हैंड सिगनल उपलब्ध नहीं कराया गया है और रेल सेवक पटाखा रखने के लिए जा रहा है तो महताबी सिगनल का प्रयोग विशेष अनुदेशों द्वारा विहित रीति से किया जा सकेगा" ।

[फा. सं. 2001/संरक्षा (ए एण्ड आर)/19/2]

वी. एन. माथुर, सदस्य यातायात एवं पदेन सचिव

पाद टिप्पणी : भारतीय रेल (चालित लाइन) साधारण नियम, 1976, भारत के राजपत्र में तारीख 21 जुलाई, 1981 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 445(अ), तारीख 22 अक्तूबर, 1980 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए :—

(1) सा.का.नि. 320, तारीख 16 अप्रैल, 1983
(2) सा.का.नि. 352, तारीख 30 अप्रैल, 1983
(3) सा.का.नि. 514(अ), तारीख 27 जून, 1983
(4) सा.का.नि. 476(अ), तारीख 28 जून, 1984
(5) सा.का.नि. 245, तारीख 23 मई, 1992
(6) सा.का.नि. 83, तारीख 17 फरवरी, 1996
(7) सा.का.नि. 101, तारीख 23 मई, 1998
(8) सा.का.नि. 47, तारीख 13 फरवरी, 1999
(9) सा.का.नि. 213 (अ), तारीख 18 मार्च, 1999
(10) सा.का.नि. 283(अ), तारीख 26 अप्रैल, 1999
(11) सा.का.नि. 581 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2000
(12) सा.का.नि. 708(अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000
(13) सा.का.नि. 852(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2000

(14) सा.का.नि. 893(अ), तारीख 24 नवम्बर, 2000

(15) सा.का.नि. 913(अ), तारीख 12 दिसम्बर, 2000

(16) सा.का.नि. 394(अ), तारीख 31 मई, 2002

(17) सा.का.नि. 842(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 2002

(18) सा.का.नि. 221 (अ), तारीख 19 अप्रैल, 2006

(19) सा.का.नि. 476(अ) तारीख 11 अगस्त, 2006

(20) सा.का.नि.. 477(अ) तारीख 11 अगस्त, 2006

(21) सा.का.नि. 311 (अ) तारीख 26 अप्रैल, 2007; और

(22) सा.का.नि. 694(अ) तारीख 7 नवम्बर, 2007

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2008

G.S.R. 116(E).— In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of Section 60, read with Section 198 and clause (a) of sub-section (2) of Section 200 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976, namely :—

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Indian Railways (Open Lines) General (Amendment) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Rule 3.52.—In the Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3.52, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Red or green light referred to in sub-rule (3) shall be either a static or flashing type.".

3. Amendment of Rule 3.66.— For rule 3.66 of the said rules the following rule shall be substituted, namely :—

"3.66. Use of flare signals.—When it becomes necessary to protect an obstruction in a block section and a flashing hand signal is not provided, a flare signal may be used, as prescribed by special instructions, while the railway servant proceeds to place detonators.".

[F. No. 2001/Safety (A&R)/19/2]

V. N. MATHUR, Member Traffic & Ex-Officio Secy.

Foot Note.—The Indian Railways (Open Lines) General Rules, 1976 vide number G.S.R. 445(E), dated the 22nd October, 1980 were published in the Gazette of India, dated the 21st July, 1981 and subsequently amended *vide* numbers :—

(1) G.S.R. 320, dated the 16th April, 1983

(2) G.S.R. 352, dated the 30th April, 1983

(3) G.S.R. 514(E), dated the 27th June, 1983

(4) G.S.R. 476(E), dated the 28th June, 1984

(5) G.S.R. 245, dated the 23rd May, 1992

(6) G.S.R. 83, dated the 17th February, 1996

(7) G.S.R. 101, dated the 23rd May, 1998

(8) G.S.R. 47, dated the 13th February, 1999

(9) G.S.R. 213(E), dated the 18th March, 1999

(10) G.S.R. 283(E), dated the 26th April, 1999

(11) G.S.R. 581(E), dated the 3rd July, 2000

(12) G.S.R. 708(E), dated the 6th September, 2000

(13) G.S.R. 852(E), dated the 8th November, 2000

(14) G.S.R. 893(E), dated the 24th November, 2000

(15) G.S.R. 913(E), dated the 12th December, 2000

(16) G.S.R. 394(E), dated the 31st May, 2002

(17) G.S.R. 842(E), dated the 27th December, 2002

(18) G.S.R. 221 (E), dated the 19th April, 2006

(19) G.S.R. 476(E) dated the 11th August, 2006

(20) G.S.R. 477(E) dated the 1 fh August, 2006

(21) G.S.R. 311(E) dated the 26th April 2007, and

(22) G.S.R. 694(E) dated the 7th November, 2007.

Imiracode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.